



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

क्रमांक : 04/परी/2334/मगांअंहिविवि/2021

दिनांक : 27 जनवरी, 2021

परिपत्र

एम.फिल./पी-एच.डी. के शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक : No. F.1-10/2020(CPP-II) दिनांक 3 दिसंबर 2020, Public Notice (कोविड-19) का संज्ञान लेते हुए शोध प्रबंध जमा करने के लिए समयावधि 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 की जाती है।

कादर नवाज़

(कादर नवाज़ ख़ान)

28/01/21

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. समस्त विभाग प्रमुख (ईमेल द्वारा)।
4. प्रभारी : लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु। — R 28/01/21
5. संबंधित फाइल।